पुनरीक्षण याचिका कमांक.....।२०१३
प्रस्तुति दिनांक

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के न्यायालय मे

सर्व सुखाय संस्थान तर्फे अध्यक्ष,
पारस पिता भागचन्द गंगवाल,
निवासी पिपल्या तहसील कुक्षी, [redacted]
जिला धार (म०प्र०)
प्रार्थी/अधिभाषक द्वारा दिनांक 23-12-13-प्रार्थी
को प्रस्तुत

विरूध्द

912/23-12-2013

मध्यप्रदेश शासन --- प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता १९५९

प्रार्थी माननीय आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर (श्री संजय दुबे)व्दारा प्रकरण क्रमांक १७।अपील।स्टाम्प ।२०१२-१३ (सर्व सुखाय संस्थान तर्फे अध्यक्ष वि० शासन)मे पारित आदेश दिनांक ०९-०९-२०१३ से असन्तुष्ट होकर यह पुनरीक्षण नीचे लिखे तथ्यो तथा आधारो पर सादर निम्नानुसार प्रस्तुत करते है कि :-

मुद्रांकशासन/भू.रा. आ.प.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 259–दो/2014 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–6–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 9–9–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47–1 के अंतर्गत आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकाला जाकर कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को है, उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । आवेदकगण द्वारा आयुक्त के आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, और निगरानी मेमो के साथ कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए थी, परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही आवेदकगण की ओर से नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुकूल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	